

NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

कार्य का नाम—

राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी—हरिशंकर—चौडी—रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हे० सिविल एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 हे० कुल 1.180 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

यह मोटर मार्ग उडामाण्डा—सिनाऊ—रौता मोटर मार्ग के कि०मी० 27.00(हे०मी० 0—2) से प्रारम्भ होकर सिमलासू गाँव तक जाता है। जिससे कि ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी तथा ग्रामवासियों का सीधा सम्पर्क तहसील मुख्यालय पोखरी से हो सकेगा। वर्तमान में गाँव की महिलाएँ पानी लकड़ी, चारा आदि लाने दूर जाती हैं मार्ग निर्माण के पश्चात् उनका बहुमूल्य समय बचेगा, साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पाएँगी। गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के ओर नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाँव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

समरेखण—1

यह मोटर मार्ग उडामाण्डा—सिनाऊ—रौता मोटर मार्ग के कि०मी० 27.00(हे०मी० 0—2) से प्रारम्भ होकर ग्राम सिमलासू तक 1.925 कि०मी० की लम्बाई में निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस समरेखण पर क्षेत्रिय जनता की सहमति है तथा भू—गर्भ वेता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में हेयरपिन बैण्डों की संख्या 5 हैं तथा प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 25 हैं।

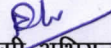
समरेखण—2

यह मोटर मार्ग उडामाण्डा—सिनाऊ—रौता मोटर मार्ग के कि०मी० 27.00(हे०मी० 0—2) से प्रारम्भ होकर सिमलासू तक 2.00 कि०मी० की लम्बाई में निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस समरेखण से क्षेत्रिय जानता भी सहमत नहीं हैं एवं भू—गर्भ वेता द्वारा मार्ग निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में हेयरपिन बैण्ड की सं० 5 है तथा प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 30 हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु समरेखण न०—1 उपर्युक्त हैं।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)



अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)